न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 12/2022, जिला अलवर

1. दयानन्द शिक्षा संस्थान अलवर ग्राम हांसपुर खुर्द, तहसील कोटकासिम/जर्ये सचिव संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश यादव जाति अहीर निवासी चावण्डी नानगवास तहसील नीमराणा जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. दयानन्द शिक्षण संस्थान अलवर जर्ये सचिव/मंत्री बिजेन्द्र कुमार परमाल पुत्र श्री छंगामल जाति महाजन निवासी मौहल्ला हाजियावाला सांगानेर जयपुर राज0।
2. ग्राम पंचायत पतलिया जर्ये सरपंच पंचायत समिति कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर निर्णय दिनांक 09.02.2021

उपस्थित—

1. श्री विजय कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री प्रहलाद चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक —16.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 09.02.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के समक्ष ग्राम पंचायत पतलिया पंचायत समिति कोटकासिम के द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नं. 1 रकबा 0.15 है0, 3 रकबा 0.17 एवं 439/4 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम हांसपुर खुर्द में स्थित भूमि के खोले गये इन्तकाल संख्या 366 दिनांक 20.04.2015 को को गलत बताते हुये निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत पतलिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 को निरस्त कर तहसीलदार कोटकासिम को वैयनामा दिनांक 24.12.2014 की पुनः सही जॉच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 09.02.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट दयानन्द शिक्षा संस्थान अलवर जर्ये सचिव संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय दिनांक 09.02.2021 की क्रियान्विती स्थगित किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 नाम की कोई संस्था कभी आस्तित्व में नही रही है। विवादित आराजीयात खसरा नं. 1

Scanned by CamScanner

रकबा 0.15 है0, 3 रकबा 0.17 एवं 439/4 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम हांसपुर खुर्द में स्थित संस्था को हडप करने के उद्देश्य से रेस्पोडेण्ट नं 1 ने स्वयं को सचिव/मंत्री अंकित किया है इसका संस्था से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। विवादित आराजी खसरा नं. 1, 3 एवं 439/4 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 23.12.2014 को दयानन्द शिक्षा संस्थान अलवर जर्ये सचिव/मंत्री श्री नरेश कुमार पुत्र दयासिंह निवासी छाटक्या के नाम से खरीद ली गई एवं विक्रय अनुसार इन्तकाल संख्या 366 दिनांक 20.04.2015 स्वीकार हुआ है एवं वर्तमान में अपीलांट संस्था के सचिव के पद पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल संख्या 366 के तथ्यों पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम दिनांक 09.02.2021 निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम हांसपुर खुर्द में स्थित विवादित आराजी खसरा नं. 1, 3 एवं 439/4 गै0 मु0 शिक्षण संस्थान की भूमि को सावित्री पत्नि व राकेश कुमार, विजेन्द्र कुमार पुत्रान् व पूनम कुमारी, कंचन पुत्रीयान् श्री छुट्टनलाल जाति मेघवाल से जर्ये पंजीबद्ध बैयनामा संख्या 754 के माध्यम से दिनांक 24.12.2014 को क्रय कर ली गई। उक्त बैयनामा के आधार पर तत्कालीन पटवारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इन्तकाल संख्या 366 उक्त शिक्षण संस्थान के नाम के साथ जर्ये सचिव/मंत्री नरेश कुमार पुत्र दयासिंह जाट और दर्ज कर दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच पश्चात् सही पाया जाकर अपील स्वीकार कर रिमाण्ड के आदेश दिये गये। अतः अपीलांट का विवादित उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है ना ही अधीनस्थ न्यायालय में वह पक्षकार है फिर भी अपीलांट द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने व कब्जा करने की नियत से अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सही जॉच के आधार पर ग्राम पंचायत पतलिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 को निरस्त कर तहसीलदार कोटकासिम को रिमाण्ड कर प्रतिप्रेषित कर दिया जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 13.04.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर ग्रहण किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मूल बेचान नामा दयानन्द शिक्षा संस्थान अलवर ग्राम आसपुर खुर्द तहसील कोटकासिम जरिये सचिव/मंत्री श्री नरेश कुमार के हक में किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर नामांतरकरण संख्या 366 दयानन्द शिक्षा संस्थान अलवर जरिये सचिव/मंत्री श्री नरेश कुमार पुत्र श्री दयासिंह जाति जाट साकिन ग्राम छाटक्या (उपला बासना) तहसील बानसूर के नाम दर्ज किया गया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त नामांतरकरण संख्या 366 को चुनौती दी गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.02.2021 के द्वारा नामांतरकरण संख्या 366 को निरस्त करते हुए तहसीलदार कोटकासिम को प्रकरण रिमाण्ड किया गया कि बैयनामा दिनांक 24.12.2014 की पुनः जॉच कर निर्णय पारित करें। इसके उपरान्त नामांतरकरण संख्या 452 दिनांक 09.02.2022 द्वारा दयानन्द शिक्षा संस्थान अलवर के नाम नामांतरकरण दर्ज किया गया तथा पूर्व नामांतरकरण में दयानन्द शिक्षा संस्थान अलवर के साथ सचिव का नाम जो दर्ज किया गया था उसे हटा दिया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 452 उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की अनुपालना में एवं राजस्व विभाग राज0 सरकार के परिपत्र दिनांक 09.06.2009 की पालना में किया गया है जिसके तहत् किसी कम्पनी या संस्था के नाम के साथ साथ जरिये निदेशक अथवा जरिये मैनेजर आदि प्रकार के शब्दों के प्रयोग को अनुचित माना गया है तथा इस प्रकार की प्रविष्टियों को ठीक करने के निर्देश

Scanned by CamScanner

दिये गये हैं। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि संस्था का पंजीयन दयानन्द शिक्षा संस्थान अलवर के नाम से किया गया है तथा रजिस्टर्ड सेल डीड दयानन्द शिक्षा संस्थान अलवर के नाम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा रजिस्टर्ड सेल डीड के अनुसार ही नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं तथा नामांतरकरण संख्या 452 राजस्व विभाग, राज0 सरकार के परिपत्र दिनांक 09.06.2009 के अनुसार ही दर्ज किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय दिनांक 09.02.2021 में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। किसी कम्पनी या संस्था के नाम के आगे मैनेजर या सचिव आदि का नाम लिखना विधि सम्मत नहीं है क्योंकि कम्पनी या संस्था एक विधिक व्यक्तिगत होती है जो अपने नाम से सम्पत्ति धारण कर सकती है। नामांतरकरण के समय किसी कम्पनी या संस्था के साथ किसी व्यक्ति का नाम लिखना विधिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि दोनों पक्षकारों में असली विवाद संस्था के प्रबंधन पर आधीपत्य को लेकर है जिसका निराकरण रजिस्ट्रार कोआपरेटिव द्वारा ही विधिक प्रावधानों के तहत् किया जा सकता है। उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के निर्णय दिनांक 09.02.2021 में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती तथा उसकी अनुपालना में खोले गए नामांतरकरण 452 में भी कोई त्रुटि जाहिर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर का निर्णय दिनांक 09.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner